



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49802

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2856 वर्ष 2026

वज़ीर बेग

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अम्बुज मिश्रा, बब्बू राम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी. न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बुज मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव को सुना।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 25.02.2026 को रिट याचिका ग्रहण की थी और विद्वान स्थायी अधिवक्ता से अनुदेश मांगे थे।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव ने पुलिस अधीक्षक, जिला हापुड़ के हस्ताक्षरों के अधीन दिनांक 06.03.2026 के अनुदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें पत्रावली पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'क' के रूप में चिह्नित किया जाता है।
4. विरोधी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने बार के समक्ष यह वक्तव्य दिया है कि वे कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और रिट याचिका का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
5. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय इसी नवीन प्रक्रम पर किया जा रहा है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. रिट याची का मामला यह है कि उसे पुलिस विभाग में उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था और वह वर्तमान में पुलिस स्टेशन- कपूरपुर, जिला हापुड़ में पदस्थापित है। रिट याची के अनुसार, रिट याची को संशोधित वेतन-बैंड 5200-20200 के समतुल्य 4500-7000 में 2800 ग्रेड पे के साथ वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया गया था और शासनादेश के अनुसार, एक वेतन वृद्धि का लाभ भी प्रदान किया गया था। तत्पश्चात रिट याची को द्वितीय ए. सी. पी. के रूप में 4200/- रुपये का ग्रेड-पे और तृतीय ए. सी. पी. के रूप में 4600 रुपये का ग्रेड-पे प्रदान किया गया था। दिनांक 02.12.2000 के शासनादेश के अनुसरण में, रिट याची को 14 और 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात वेतनमान का लाभ भी प्रदान किया गया था। यद्यपि रिट याची के अनुसार, यह अभिकथित है कि पुलिस अधीक्षक हापुड़ द्वारा दिनांक 21.01.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें रिट याची से कारण पूछा गया था कि वेतन का पुनः निर्धारण क्यों न किया जाए और इसे दिनांक 22.01.2025 को रिट याची पर तामील हुआ मानकर और अब, पुलिस अधीक्षक, हापुड़ द्वारा दिनांक 02.03.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया जिसमें रिट याची के अहित में वेतनमान का पुनः निर्धारण करने का प्रयास किया गया है।

7. उक्त आदेश पर प्रश्न उठाते हुए, वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

8. इस न्यायालय ने 25.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित करने की कार्यवाही की:-

"1. पेपर-बुक के पृष्ठ-18 पर दिया गया आदेश यह दर्शाता है कि रिट याची को 21.01.2025 को नोटिस दिया गया था, जो 22.01.2025 को रिट याची पर तामील हुआ था, परंतु रिट याची ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2. रिट याचिका के पैरा-14 में किए गए कथनों के आधार पर रिट याची द्वारा उक्त तथ्य का विवाद किया गया है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव इस न्यायालय के समक्ष कारण बताओ नोटिस और रिट याची पर तामीली का तरीका और ढंग प्रस्तुत करें।

4. इस मामले को 11.03.2026 को नए (फ्रेश) के रूप में प्रस्तुत करें।"

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि रिट याची पर 21.01.2025 के कारण बताओ नोटिस की तामीली 22.01.2025 को किसी भी समय नहीं हुई थी। निवेदन यह है कि उक्त कारण बताओ नोटिस रिट याची पर तामील हुआ था और रिट याची ने अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, तथ्यात्मक रूप से गलत है। रिट याचिका के पैरा 14 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि रिट याची पर कारण बताओ नोटिस तामील किया गया था।

10. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव अनुदेशों के आधार पर निवेदन करते हैं कि दिनांक 21.01.2025 का कारण बताओ नोटिस 22.01.2025 को रिट याची पर तामील हो गया था, क्योंकि वे अनुदेशों के पृष्ठ-6 का संदर्भ देना चाहते हैं, ताकि आगे यह तर्क दिया जा सके कि इस संबंध में हाथ से (दस्ती) प्राप्ति हुई है।

11. मैंने बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदनों को सुना है और पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

12. तथ्य विवाद नहीं हैं। स्पष्ट और सरल रूप से, पक्षकारों के बीच विवाद की जड़ यह है कि क्या दिनांक 21.01.2025 का कारण बताओ नोटिस 22.01.2025 को रिट याची पर तामील हुआ था। यद्यपि रिट याची इसका विवाद करता है कि राज्य का यह रुख है कि यह तामील हो गया था।

13. तथ्य के रूप में, यद्यपि दिनांक 21.01.2025 के कारण बताओ नोटिस को 22.01.2025 को रिट याची पर तामील किया गया बताया जाता है और आक्षेपित आदेश 02.03.2025 को पारित किया गया था, परंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुनः निर्धारण और वसूली हुई है और रिट याची का रुख जो कि, रिट याची के अनुसार, सारवान था, अनुत्तरित (अनसुना) रह गया है और आक्षेपित आदेश इस तथ्य पर आगे बढ़ता प्रतीत होता है कि रिट याची ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था, जो एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के समान है, इस प्रकार रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित निबंधनों में किया जा रहा है:

(क) पुलिस अधीक्षक, हापुड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2025 निरस्त किया जाता है।

(ख) चूंकि दिनांक 06.03.2026 के अनुदेशों की एक प्रति जिसमें पृष्ठ 4/5 पर दिनांक 21.01.2025 का कारण बताओ नोटिस समाहित है, सुनवाई के दौरान रिट याची पर तामील कर दी गई है, इस प्रकार यह अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माना जाएगा कि रिट याची को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हो गया है। इस प्रकार रिट याची को 28.03.2026 तक कारण बताओ नोटिस का अपना उत्तर प्रस्तुत करना है और तत्पश्चात उसके बाद एक माह की अवधि के भीतर आदेश पारित किया जाएगा।

14. पूर्वोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

15. इस प्रकार की गई कोई भी वसूली और पुनः निर्धारण पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

11 मार्च, 2026

एन. एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।